



सममेव नमते

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क.सं.10

क्रमांक : एफ.15(3)आयु.उ./ईएम. अनु./बीकानेर/2007

दिनांक :

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
बीकानेर।

विषय: ई.एम. पार्ट-I व II के उत्पादन एन आई सी कोड के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करने बाबत।

प्रसंग: आपका पत्र क्रमांक:जिउके/बीके/एमएसएमई जनरल/2013-14/115 दिनांक 21.04.14

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र में सूरतगढ बीकानेर टोल रोड कम्पनी प्रा.लि. द्वारा होट मिक्स प्लांट हेतु उद्यमियता ज्ञापन जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना तथा एनआईसी कोड पुस्तिका में उपरोक्त कार्य हेतु कोड उपलब्ध नहीं होना बताते हुए होट मिक्स प्लांट हेतु एनआईसी व एसआईसी कोड नम्बर हेतु मार्गदर्शन चाहा है।

उक्त सम्बन्ध में दिनांक 25.04.2014 को श्री अजय शर्मा, सहायक निदेशक, एमएसएमई-डीआई, बाईस गोदाम, जयपुर से चर्चा की गई। श्री अजय शर्मा ने बिटूमिनियस टार मिक्सिंग (होट एवं कोल्ड मिक्सिंग प्रक्रिया द्वारा) प्लांट हेतु एनआईसी-2004 कोड नम्बर-14299 तथा एसआईसी कोड-23151 अंकित करने की सलाह दी है। भारत सरकार ने उनके पत्रांक-5(2)/2011-सू.ल.म.उ. नीति दिनांक 29.07.2011 से बिटूमिनियस टार मिक्सिंग (होट एवं कोल्ड मिक्सिंग प्रक्रिया द्वारा) प्लांट एमएसएमईडी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक विनिर्माण क्रियाकलाप माना है। पत्र की प्रति पूर्व में इस कार्यालय के पृष्ठांकन पत्रांक-एफ.15(6)आयु.उ./ईएम. अनु./अलवर/2007 दिनांक 26.08.2011 से समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों तथा जिला उद्योग उपकेन्द्रों को प्रेषित की जा चुकी है।

अतः एक्टिविटी एण्ड प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन फॉर एमएसएमई सेक्टर (बेस्ड ऑन एसआईसी 2000 एण्ड एनआईसी 2004) वोल्यूम I (ग्रुप वाईज) के पृष्ठ संख्या-29 तथा पृष्ठ संख्या-195 पर दिये गये Description के अनुसार बिटूमिनियस टार मिक्सिंग प्लांट (होट एवं कोल्ड मिक्सिंग प्रक्रिया द्वारा) कोड नम्बर के लिये एनआईसी 2004 कोड नम्बर-14299 तथा एसआईसी कोड नम्बर-23151 दिये जाने की सलाह दी जाती है।

भवदीय,

६०

(अविन्द्र लढढा)

संयुक्त निदेशक, उद्योग

क्रमांक : एफ.15(3)आयु.उ./ईएम. अनु./बीकानेर/2007

दिनांक : 13,05,2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
2. सहायक निदेशक, उद्योग/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उपकेन्द्र, समस्त।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, उद्योग